

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर  
305002



By speed post/Email  
Violation Letter  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-  
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या: MCDR-MiFLOCu/1/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक : 10-03-2025

प्रेषित: Mines Manager

Kolihan Copper Mines of HCL

Neem ka Thana

Jhunjunu

(Email: rahul\_p@hindustancopper.com,rakesh\_s@hindustancopper.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your your mine code No.14RAJ17003 of copper 163.23 hect. situated in Kolihan ,Neem Ka Thana महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Nishant Kumar Rao,SrACOM on 6/11/24 to 07/11/24 in presence of Mine Official

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 04/05/2023 to the extent given below for the year 2023-24:</p> <p>(1) Exploratory drilling proposed was 19 no. of boreholes with 1535 mtr drilling ,achievement is 1158 meter with only 15 no. of Borehole was done .Area exploration proposed was 36.05 ha whereas achievement is only 27.14 ha</p> <p>(2) Development proposed during period was 3240 mtr whereas achievement is only 504.20 mtr.And OB generated proposed was 35735 cub mtr whereas achievement is only 9830 cub mtr</p> <p>(3) Production proposed during year was 720000 t where as achievement is 489916 t .</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमका उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमोंका उल्लंघनकी अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क ) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं ।

(ख ) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग ) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।

03 इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 55 के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनुसूची-III के प्रावधान लागू होंगे।

04 . अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनका अती शीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस ) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

(एन. के. राव)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल )
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झुंझनु

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो